

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या- 16/2023

बउनवान

निरधर गोपाल आयु 50 साल पुत्र श्री धन्नालाल, जाति राठी, निवासी खानपुरिया,
तहसील मांगरोल, जिला-बारां (राज०) (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां (रेस्पोंडेंट)



अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपरिस्थिति :-1. श्री जयेश सक्सेना, अभिभाषक (अपीलांट)
2. परोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक 27.10.2023

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल के आदेश दिनांक 08.03.2023 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम खानपुरिया तहसील-मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 229 रकबा 0.10 है., किस्म-गै.मु.खाल पर अतिक्रमी मानकर 160/- रूपये शास्ति एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बगैर किसी स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य लिये बिना केवल मात्र हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है, जबकि अपीलांट ने उक्त वर्णित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है तथा तावान की राशि भी जमा करवा दी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 08.03.2023 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस हेतु प्रकरण नियत किया गया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य पेश करने का प्राप्त नहीं हुआ है, और ना ही अपीलांट को कभी बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत किये बिना ही केवल मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर अतिक्रमी माना है। एवं अपीलांट द्वारा तावान की राशि भी जमा करवा दी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.03.2023 निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट के पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने के संबंध में पटवारी हल्का के बयान के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा पारित बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 119/23 में पारित निर्णय दिनांक 08.03.2023 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, मांगरोल के समक्ष एक माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिंग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा निर्णय दिनांक 08.03.2023 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.03.2023 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर
बारा (राज०)